न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्याम सिंह शेखावत आर.ए.एस

अपील संख्याः 814/2018

श्रीमती चोसर देवी पुत्री भूराराम पत्नि नाथूराम जाति खटीक, निवासीः ग्राम मानपुरा मांचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थी**

बनाम

1. मक्खन लाल पुत्र भूराराम जाति खटीक, निवासीः ई ब्लॉक 501, गली नंबर 9, मंगोलपुरी, नई दिल्ली।
2. महादेव पुत्र भगवान सहाय
3. ओमप्रकाश पुत्र भगवान सहाय
4. राजकमल पुत्र भगवान सहाय
5. रामा देवी पत्नि भगवान सहाय
   समस्त जाति खटीक, निवासीः बिलौची, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. चिरंजीलाल पुत्र सुवालाल
7. अशोक कुमार पुत्र सुवालाल
8. लालाराम पुत्र सुवालाल
9. नवरतन पुत्र सुवालाल
10. श्रीमती चुन्नी देवी पत्नि सुवालाल
    समस्त जाति खटीक, निवासीः प्लॉट संख्या 274, काला हनुमानजी मंदिर जल महल आमेर रोड, जयपुर।
11. भूदान बोर्ड जरिये कार्यकारी अधिकारी रामचन्द्र जी का मंदिर, चांदी की टकसाल, जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

13. जयनारायण पुत्र भूरा
14. गुल्ली पुत्री सूरजा
15. आरती पुत्री गोपाल
16. भारती पुत्री गोपाल
17. पूजा पुत्री गोपाल
18. अनिता पुत्री गोपाल
    समस्त जाति खटीक, निवासीः ग्राम बिलौची, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
19. किशोरचन्द पुत्र लक्ष्मण
20. राजकुमार पुत्र लक्ष्मण
21. रामा देवी पुत्री लक्ष्मण
22. नाथी देवी पुत्री लक्ष्मण
23. निर्मला देवी पुत्री लक्ष्मण
    समस्त जाति खटीक, निवासीः सी. 449, जे.जे. कॉलोनी, इन्द्रिरापुरी नई दिल्ली।
24. श्रीमती भूरी देवी बेवा सूजा
25. राजू पुत्र सूजा
26. बंशी पुत्र सूजा
27. नानगा पुत्र सूजा
28. कैलाश पुत्र सूजा
29. मनभरी पुत्री सूजा
30. कमली पुत्री सूजा
31. श्रवणी पुत्री सूजा
32. कानी देवी पत्नि कन्हैयालाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

33. मदन पुत्र कन्हैयालाल
34. दिलीप पुत्र कन्हैयालाल
35. किशन पुत्र कन्हैयालाल
36. राजू पुत्र कन्हैयालाल
37. पप्पू पुत्र कन्हैयालाल
38. शकुन्तला पुत्री कन्हैयालाल
39. मनोज पुत्र रामचन्द्र
40. सुशीला पुत्री रामचन्द्र
41. सुनीता पुत्री रामचन्द्र
42. प्रवीणा पुत्री रामचन्द्र
43. रामप्रकाश पुत्री रामचन्द्र

समस्त जाति खटीक, निवासी: ग्राम बिलौची, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....**फॉर्मल रेस्पोडेन्ट्स**

अपील विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 10.05.2018 न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक आमेर जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 26/2014 उनवान चौसर देवी बनाम मक्खन लाल अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:–निर्णय–: 26/3/2021

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक आमेर जिला जयपुर के निर्णय डिक्री दिनांक 10.05.2018 वाद पत्र संख्या 26/2014 बउनवानी लक्ष्मीनारायण बनाम नाथूलाल के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादिनी अपने स्व. पिता भूराराम की एकमात्र पुत्री है एवं भूराराम के प्रतिवादी संख्या 1 मक्खनलाल जीवित पुत्र है। वादिनी के दो भ्राता भगवान सहाय व सुवालाल का स्वर्गवास हो चुका है जिनके उत्तराधिकारी व वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 है। इस प्रकार वादिनी भी अपने पिता स्व. भूराराम की एकमात्र पुत्री होकर कानूनी उत्तराधिकारी है जिसका अपने पिता की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम बिलोची में स्थित है, में पुत्री होने के आधार पर बराबर का हक व हिस्सा है। ग्राम बिलोची तहसील आमेर, जिला जयपुर में वादिनी के स्व. पिता भूराराम पुत्र सेडूराम खटीक की कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 264/482 रकबा 5 बीघा बारानी तृतीय है जिसकी खतौनी संख्या 248 है जिसके सेटलमेन्ट के पश्चात् नये खसरा नंबरान 1128 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1129 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1130 रकबा 0.87 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.27 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अंकित की गई एवं वादिनी के पिता का स्वर्गवास होने के पश्चात् वादिनी के स्व. भूराराम पुत्र सेडूराम की खातेदारी की आराजीयात का वादिनी व उसके तीनों भ्रातागण के नाम एकमात्र वारिस होने के आधार पर स्वीकृत होना आवश्यक था परन्तु वादिनी के तीनों भ्रातागण ने राजस्व कर्मचारियां से साजिश करके वादिनी के स्व. पिता की खातेदारी का नामान्तकरण स्वयं तीनो भाईयों के नाम ही स्वीकृत करा लिया। वादिनी भी तीनों भाईयों के समान ही बराबर की खातेदार काश्तकार अंकित होना आवश्यक था परन्तु वादिनी के तीनों भ्रातागण मक्खनलाल, भगवान सहाय, सुवालाल राजस्व कर्मचारियों से साजिश करके नामान्तकरण अपने नाम स्वीकृत करा लिया जिससे वादिनी के 1/4 हक व हिस्से पर कतई कोई प्रभाव नहीं पडता

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

है एवं वादिनी अपने स्व. पिता भूराराम की आराजी में 1/4 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने की कानूनन अधिकारी है एवं वादिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गैरकानूनी साजिश से वादिनी के भ्रातागण ने जो नाम अंकित नहीं कराया वह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के भी विपरीत होकर वादिनी के हकों को कानूनन प्रभावी नहीं करता है एवं वादिनी अपने स्व. पिता भूराराम की खातेदारी के 1/4 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने व राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अंकन करवाने की कानूनन अधिकारी है। वादिनी अपने स्व. पिता भूराराम की एकमात्र पुत्री है एवं ग्राम बिलोची में स्थित साबिक खसरा नंबर 264/482 रकबा 5 बीघा वर्तमान खसरा नंबर 1128 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 1129 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 1130 रकबा 0.87 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.27 हैक्टेयर आराजी के 1/4 हक व हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अधिकार रखती है एवं बकाया 3/4 हक व हिस्से की आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक है क्योकि प्रतिवादी संख्या 1 वादिनी का एक भ्राता जीवित है जिसका 1/4 हिस्सा, मृतक भगवान सहाय के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के 1/4 हिस्सा एवं मृतक भ्राता सुवालाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 का 1/4 हक व हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जाना आवश्यक है क्योकि राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से जो नामान्तकरण वादिनी को हक व हिस्से से वंचित करते हुये वादिनी के भ्राता मक्खनलाल, भगवान सहाय, सुवालाल द्वारा अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करा लिया गया उसमें वादिनी का 1/4 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करना व राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा घोषित किया जाने के लिये वादिनी का वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर ग्राम बिलोची, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी साबिक खसरा नंबर 264/482 रकबा 5 बीघा, वर्तमान खसरा नंबर 1128 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 1129 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 1130 रकबा 0.87 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.27 हैक्टेयर आराजीयात वादिनी के स्व. पिता भूराराम की मौरूसी आराजी होने के आधार पर वादिनी को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। वादिनी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादिनी के स्व. पिता भूराराम की खातेदारी की आराजीयात को वादिनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर जब तक बेचान न हो जावे तब तक आराजीयात का बेचान न करे। वादग्रस्त आराजीयात में वादिनी का 1/4 हक व हिस्सा का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा किया जाकर वादिनी को 1/4 हक व हिस्से की आराजीयात का कब्जा वास्तविक रूप से दिलवाया जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 10.05.2018 के माध्यम से वादी द्वारा अपने भाईयों को वाद में पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण वाद डिफेक्टिव होने के आधार पर खारिज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। वकील अपीलान्ट की एकरतफा बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वादिया का वाद अपीलार्थी/वादिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

द्वारा अपने भाईयों को वाद में पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर गलत खारिज किया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा न तो जवाबदावा प्रस्तुत किया गया एवं ना ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस आधार पर दावा खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई। विचारण न्यायालय के अनुसार अपीलार्थी को अपने भाईयों को वाद में पक्षकार बनाया जाना चाहिये था। विचारण न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने विवेक के आधार पर भी पक्षकार संयोजित कर सकता है किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण न्याय बिन्दु की ओर ध्यान न देकर केवल मात्र पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर दावा खारिज किये जाने में गहन कानूनी त्रुटि कारित की है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा यह तथ्य साबित किया गया है कि आराजीयात भूरा पुत्र सेडू की है एवं अपीलार्थी भूरा की पुत्री है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलार्थी को भूरा की पुत्री होने से इंकार नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा इन समस्त बिन्दुओं पर गौर न कर अपीलाधीन निर्णय गलत पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.05.2018 खारिज फरमाया जावे। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई भी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुये।

4. अपील अपीलान्ट, अपीलान्ट की लिखित बहस तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वादिनी द्वारा दायर वाद में अपने भाईयों मक्खनलाल, स्व. भगवान सहाय, स्व. सुवालाल के अतिरिक्त अन्य शेष पांच भाईयों व उनके वारिसों, जो हक अधिकार घोषणा के दावे के आवश्यक पक्षकार थे, को पक्षकार न बनाये जाने के आधार वाद को डिफेक्टिव मानते हुये खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर मात्र आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर दावे को खारिज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पक्षकारों के असंयोजन के दावे के प्रभाव के संबंध में आदेश 1 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों पर विचार नहीं किया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई मुकदमा पक्षकारों के असंयोजन या कुसंयोजन के कारण विफल नहीं किया जायेगा। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अभिव्यक्त नहीं किया कि किन तथ्यों के अपवाद के परिणामस्वरूप आदेश 1 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान उक्त प्रकरण पर लागू नहीं होते है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित करते समय न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

5. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 10.05.2018 अपास्त किया जाता है। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) आमेर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि समस्त आवश्यक पक्षकारों को संयोजित कर, पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये युक्तियुक्त निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 26/3/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर